Donations By ASU/Financial Institution

1792. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:
SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether any funds have been donated by the A.S.U./Financial Institution under the Ministry to any Foundation or Institution connected with late Smt. Indira Gandhi and Shri Rajiv Gandhi during the past four years and if so, the details thereof; and

(b) the details of donations made to any other body/voluntary institutions during the above period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DR. C. SILVERA): (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Construction of Central Government Houses in R.K. Puram

1793. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether foundation stone for construction of Central Government Employees Residential Complex was laid in Sector 10, R.K. Puram, New Delhi on 13th November, 1995.

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the project would cost nearly 50 crores;

(d) whether a large number of Central Government employees working in Delhi with more than 25 years service have not been provided Government accommodation;

(e) if so, the number of such employees Ministry/office-wise as on 30.11.95.

(f) whether Government propose to provide houses to such Government employees at least in 1996; and

(g) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI R.K. DHAWAN): (a) Yes, Sir.

(b) The details of the proposed construction are as under:—

Phase-I:	Type IV	98 Nos.
	Type V	105 Nos.
	Hostel suites	106 Nos.
Phase-II:	Type V	95 Nos.
Phase-III:	Type V	95 Nos.

(c) Yes, Sir.

(d) Yes, Sir.

(e) No such data ministry/office-wise has been maintained.

(f) and (g) Allotments are made to eligible Government Employees according to their date of priority on vacancies becoming available. As such, it is not possible to indicate a target date by which Central Government Servants with more than 25 years of service would be allotted Government Accommodation.

भूमि सीमा कानूनों में छूट

1794. श्री सोम पाल: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्य सरकारों ने भूमि सीमा कानूनों में ढील देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा भूमि सीमा कानूनों में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इन राज्यों की इस नीति से सहमत है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या तर्काधार है,

(ङ) यदि नहीं तो क्या केन्द्र सरकार भूमि सीमा कानूनों में किए जा रहे ऐसे परिवर्तनों को रोकने के लिए कोई कदम उठाना चाहती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में (ग्रामीण विकास विभाग) राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) से (च) जी हां।

महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ने अध्यादेश लागू करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं, पहला निगमित क्षेत्र को बिना सीमा के पट्टे पर भूमि रखने की स्वीकृति देने के संबंध में है और दूसरा भू-मालिकों के साथ-साथ पट्टे धारियों, किसी को भी उद्योगों और नगर बनाने के उद्देश्यों के लिए भू-सीमा प्रावधानों में पूर्ण छूट देने के बारे में प्रस्ताव किया गया है। भारत सरकार ने अभी तक उपर्युक्त राज्यों के अध्यादेशों को लागू करने के बारे में अपनी संस्वीकृति नहीं दी है, क्योंकि प्रस्तावित संशोधन भूमि सीमा कानूनों के बहुत से बुनियादी उद्देश्यों और प्रयोजनों की दृष्टि से विवादास्पद है।

दूसरी तरफ, कर्नाटक राज्य ने भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1995 को राष्ट्रपति के विचारार्थ प्रस्तुत किये बिना पारित कर दिया और उसे भारत के राष्ट्रपति की पूर्व संस्वीकृति के बिना लागू कर दिया है।

उपर्युक्त विधेयक ने धारा 2, 5, 48 क, 61, 63, 79 क और 109 को संशोधित कर दिया है। धारा 63 के संशोधन के द्वारा एक काश्तकार द्वारा रखी जाने वाली निर्धारित भू-सीमा को काफी अधिक मात्रा में बढ़ा दिया है। धारा 109 में संशोधन के द्वारा औद्योगिक विकास, शैक्षिक संस्थाओं, पूजा के स्थानों, आवास परियोजनाओं और बागवानी परियोजनाओं के लिए भूमि की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया है। धारा 109 में खण्ड 1 क को शामिल करने से राज्य सरकार ने, जनहित में, किसी विशेष उद्देश्य के लिए कितनी भी भूमि रखने की छूट देने की असीमित शक्तियां प्राप्त कर ली हैं।

चूंकि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो पहली बार संविधान के अनुच्छेद 31 (ख) द्वारा संरक्षित और संसद के अधिनियमों (1990 से अब तक चौथी बार) द्वारा संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए भूमि सीमा कानूनों को राष्ट्रपति के विचारार्थ प्रस्तुत किए बिना और भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना, संशोधित कर रहा है, इसलिए इस मामले को विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय को भेजा गया है। सरकार का इरादा है कि इस संबंध में संबंधित मंत्रालयों से कानूनी राय प्राप्त होने पर ही आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

रेलवे स्टेशनों में चाय के स्टाल और खान-पान सेवा वाली ट्रालियों का आवंटन

1795. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या **प्रधान मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक जोन में आवंटित किए गए चाय के स्टालों और खान-पान सेवा वाली ट्रालियों की संख्या कितनी-कितनी है और ये स्टाल और ट्रालियां किस आधार पर आवंटित की गईं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक व्यक्ति को अलग-अलग नाम से दुकानें आवंटित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई जांच कराने और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) खानपान/वेण्डिंग स्टालों और ट्रालियों का आवंटन क्षेत्रीय रेलों द्वारा आवेदन आमंत्रित करके किया जाता है। मौजूदा नीति के अनुसार, आवेदकों का चयन गुणावगुण के आधार पर स्क्रीनिंग प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तथापि, रेल मंत्रालय की पूर्व अनुमति से विशेष मामलों के रूप में कुछ आवंटन किए गए हैं, 1993-94 तथा 1994-95 (जुलाई, 1995